न्यायालय, समक्ष, सदस्य राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

COURT FEE 20 Rs. भारत प्रतिस्थापित/विलोपित बीस रुपये TWENTY RUPEES

504

R-576-III/12

1. बब्बू कुम्हार तनय पुसुवा कुम्हार उर्फ पुसौवा कुम्हार उम्र 75 साल पेशा खेती निवासी ग्राम गोवर्दे थाना व तहसील मानपुर जिला उमरिया म. प्र.

.... **पुनरीक्षणकर्ता / आवेदक**

बनाम्

1. लड्डूबाई बेवा पत्नी रामटहल ब्रा. उम्र 55 साल पेशा खेती निवासी ग्राम बेगांव, थाना व तहसील मानपुर जिला उमरिया म. प्र.
2. म. प्र. शासन .... **अनावेदक / गैरपुनरीक्षणकर्ता**

श्री शिवदास प्रसाद वर्मा अधि० द्वारा दिनांक 28-2-12 को प्रस्तुत
28/2/12

7-3-12

पुनरीक्षण याचिका विरूद्ध आदेश श्री एन. एस. भटनागर, कलेक्टर जिला उमरिया म. प्र. दिनांक 10.01.2012 जरिए प्रकरण क्रमांक 04/पुनरीक्षण 2009–10, बावत तर्मीम नक्शा आराजी खसरा क्र. 281/2 रकवा 2.00 ए., में से कायम किए गए उपखण्ड क्र. 281/2क/1.75 ए., एवं 281/2 ख/0.25 ए. स्थित ग्राम बैगाव तहसील मानपुर जिला उमरिया, निगरानी अन्तर्गत धारा 50(2) म. प्र. भू. राजस्व संहिता वर्ष 1959

मान्यवर,

Adv.
28/2/2012

पुनरीक्षण याचिका के आधार निम्न लिखित हैः–

1. यहकि अदालत मातहत का आदेश खिलाफ विधि प्रक्रिया एवं शहादत के होने से काबिल निरस्तगी है।

2. यहकि अदालत मातहत ने इस कानूनी एवं वाक्याती बिन्दु पर कतई गौर नहीं किया बिवादित भू–खण्ड खसरा क्र. 281 के जुज रकवा 2.00 ए. का इन्तजाम पुनरीक्षणकर्ता के नाम भूमिस्वामी हक में तहसीलदार सा. तहसील मानपुर द्वारा प्रकरण क्र. 180/54–55 के जरिए दिनांक 09.02.56 को स्वीकार किया गया था व उसका पट्टा दिनांक 19.03.56 को जारी किया जाकर कृषि वर्ष 56.57 से आवेदक को मौके से काबिज करा

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.-576-दो/2012 जिला-उमरिया

<u>बब्बू कुम्हार विरूद्ध लड्डूबाई एवं मध्यप्रदेश शासन</u>

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री शिवनारायण मिश्रा उपस्थित। 3. यह निगरानी कलेक्टर उमरिया, जिला- उमरिया के प्रकरण क्रमांक- 04/पुनरीक्षण/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 10-01-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक ~~07-03-2012~~ 28.02.2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय	

में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 25-03-2019 को इस आदेश की सत्यांपित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

23/01/19

(आर.के. जैन)

सदस्य